

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई/चि.अ./आर-1922/2024/  
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
जिला चिकित्सालय,  
टोंक।

दिनांक :

**विषय:** डॉ0 राकेश कुमार महला, चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

**संदर्भ:** निदेशालय के पत्रांक 582 दिनांक 21.07.2020, 485 दिनांक 08.09.2020, 910 दिनांक 11.08.2023, 523 दिनांक 20.10.2023, 588 दिनांक 06.12.2023, 17 दिनांक 12.01.2024 एवं 7273884 दिनांक 17.05.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों द्वारा डॉ0 राकेश कुमार महला, चिकित्सा अधिकारी स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में 16 सीसीए नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 3 दिवस में चाहे गये थे, जो प्राप्त होना अपेक्षित है। निदेशालय से आपको दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव नहीं भिजवाना राज्य कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता को दर्शाता है।

अतः माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के निर्देशानुसार डॉ0 राकेश कुमार महला, चिकित्सा अधिकारी स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के नवीनतम पत्रादि अनुसार सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र, परिशिष्ट अ,ब,स,द व अभिलेख सूची एक-एक प्रति में अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव विशेष वाहक के साथ तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 06/06/2024

क्रमांक: ई/चि.अ./आर-1922/2024/248

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर को राजकाज रेफरेन्स नं० 7273884 दिनांक 17.05.2024 के क्रम में प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय टोंक द्वारा आज दिनांक तक चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव नहीं भिजवाने के उत्तदायी होने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध कार्मिक विभाग के नवीनतम पत्रादि अनुसार सीसीए नियमों के अन्तर्गत आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र, परिशिष्ट अ,ब,स,द व अभिलेख सूची एक-एक प्रति में अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तत्काल निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सीबी अनुभाग, मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
- ✓ 7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल वास्ते।
8. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref  
7788671

Document certified by RAVI PRAKASH  
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi  
Prakash Sharma  
Designation: Additional Director  
Date: 05-06-2024 03:06:12